ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-4* Issue-2* March- 2019
Innovation The Research Concept

सूक्ष्म वित्त (माइक्रोफाइनॉन्स) का महिला–सशक्तिकरण में योगदान

सी0 डी0 सूँठा
प्राचार्य,
वाणिजय विभाग,
राजकीय महाविद्यालय,
गणाई गंगोली,पिथौरागढ़,
उत्तराखण्ड

सारांश

महिलाऐं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी हैं और निर्धनता से वे सर्वाधिक प्रभावित हुई हैं। सूक्ष्म वित्त से लेकर सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन तक के प्रयासों का सामान्य लक्ष्य निर्धनों तक बैंकों की पहुंच का विस्तार करना है। सूक्ष्म वित को विकास के एक महत्वपूर्ण आगत के रूप में साख उपलब्ध कराने के साथ ही समाज के निर्धन वर्गों के क्षमता निर्माण , निर्धनता न्यूनीकरण उपकरण के रूप में विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त हुई है। समूहों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने से उत्कृष्ट पुर्नभुगतान दर की प्राप्ति , आय स्तर में सुधार तथा आवश्यकतानुसार वित्त उपलब्ध होने से समाज के कमजोर वर्गों का लघु उद्यम संबंधी कौशल भी तेज हुआ है। सूक्ष्म क्षेत्र के तीव्र विकास के बावजूद, कई विरोधाभास एवं सीमायें के कारण, इसे सन्देह की दृष्टि से देखा जाता है। अधिकतर स्वयं सहायता कार्यक्रमों में क्षमता निर्माण सबसे कमजोर पहलू है। वास्तव में, निर्धनता आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक समस्या भी है जिसके लिए एकीकृत दृष्टिकोंण की आवश्यकता है। प्रस्तुत आलेख में, महिला–सशक्तिकरण हेतु सूक्ष्म वित्त के आर्थिक एवं आर्थिकेत्तर प्रभाव का मूल्यांकन उपयुक्त सुझाव प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है।

मुख्य शब्दः

प्रस्तावना

ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता उन्मूलन एवं रोजगार सृजन हेतु विगत वर्षों में अनेकों कार्यक्रम राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर संचालित किये गये हैं, किन्तु व्यक्तिगत लाभार्थों पर ही ध्यान केन्द्रित करने, उसे आय संवर्द्धक परिसंपत्ति हेतु एकमुश्त ऋण प्रदान करने तथा लाभार्थी के क्षमता निर्माण अपेक्षित व्यवस्था न कर पाने के कारण यह कार्यक्रम वांछित सफलता प्राप्त नहीं कर पाये। लघु वित्त आन्दोलन से प्रेरित होकर सरकार के द्वारा निर्धनता उन्मूलन एवं रोजगार सृजन कार्यक्रमों को पुनर्संरचित किया गया है, तथा उनमें व्यक्तिगत दृष्टिकोण के स्थान पर समूह आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है। इन कार्यक्रमों के द्वारा महिलाओं पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने की प्रवृत्ति का प्रमुख कारण महिलाओं का ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी होना हैं और ग्रामीण निर्धनता से वही सर्वाधिक प्रभावित हुई हैं। महिलाओं के समूह पुरूष समूहों की तुलना में अधिक टिकाऊ एवं सक्रिय हैं तथा स्वयं सहायता समूहों की बड़ी संख्या महिला समूहों की है। यहां तक कि पुरूष समूहों में भी महिलाओं की महत्वपूर्ण उपस्थिति है। लगभग दो दशक पूर्व देश में 500 समूहों से प्रारम्भ हुए स्वयं सहायता समूह–बैंक संबद्धता कार्यक्रम (एस0बी0एल0पी0) में 2012–13 में 9.5 करोड़ निर्धन परिवार जुड़ चुके थे , जिनका संचयी बचत कोष 27,000 करोड़ रूपये तथा अदत्त ऋण 40,000 करोड़ रूपये थे । यह कार्यक्रम आज पूरे विश्व का सबसे बड़ा सूक्ष्म वित्तीय हस्तक्षेप है। 2011 की जनगणना के अनुसार में 24.7 करोड़ परिवारों में से 14.5 करोड परिवार (58.7%) ही बैंकों से आच्छादित थे। निर्धन परिवारों के सशक्तिकरण के लिए वित्तीय सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच पूर्व शर्त है। यही कारण है कि वित्तीय समावेशन के लिए 2014 में प्रारम्भ हुई पी0एम0जे0डी0वाई0 के अंतर्गत अप्रैल , 2016 तक 21.4 करोड़ नए खातों के साथ अब 95 प्रतिशत परिवार बैंकों

सेवाओंसे से आच्छादित हो गए हैं। किन्तु वित्तीय समावेशन साधन मात्र है,साध्य नहीं। अन्तिम लक्ष्य वास्तवमें , आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकराण है।[1]

सूक्ष्म वित्त जिसमें निर्धनों को बचत, ऋण, बीमा, भुगतान तथा मकान से संबंधित सेवाओं जैसी वित्तीय सेवाऐं सम्मिलित की जाती हैं, बैंकों से वंचित निर्धन परिवारों को लघु बचत और लघु ऋण तक पहुंच को सुधारने का एक प्रयास है।[2] सूक्ष्म वित्त स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनों की साख आवश्यकताओं की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण उपकरण बन चुका है।[3] आज सूक्ष्म वित्त को निर्धनता उन्मूलन के प्रमुख उपकरण[4] गरीबी हटाने के सर्वाधिक प्रभावशाली इलाज।[5] ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खुशहाली लाने के आधुनिक समाधान [6]तथा निर्धनों को आर्थिक सशक्तिकरण के एक सर्वाधिक प्रभावशाली हस्तक्षेप [7]इत्यादि के रूप में देखा जा रहा है। विभिन्न अध्ययनों में , समूहों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने से उत्कृष्ट पुर्नभुगतान दर की प्राप्ति एवं आय स्तर में सुधार के प्रमाण तो मिले ही हैं, यह भी देखा गया है कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आवश्यकतानुसार वित्त उपलब्ध होने से समाज के कमजोर वर्गों का लघु उद्यम संबंधी कौशल भी तेज हुआ है। इस दृष्टि से लघु ऋण एवं स्वयं सहायता समूहों का एकीकरण समग्र ग्रामीण विकास अथवा इसके सदृश निर्धनता उन्मूलन का समाधान हो सकता है। [8]

संयुक्त राष्ट्र विकास कोष सम्मेलन (यू0एन0सी0डी0एफ0: 2004) के अनुसार सूक्ष्म वित्त

1. अत्यंत निर्धन परिवारों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना तथा जोखिमों से उन्हें बचाना,
2. पारिवारिक आर्थिक कल्याण में सुधार के लिए सहयोग करना एवं
3. महिलाओं के आर्थिक प्रतिभागीकरण के समर्थन के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण में सहयोग एवं लिंग समानता का प्रवर्तन करना आदि तीन मुख्य भूमिकाओं का विकास करता है। सूक्ष्म वित्त की संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 'शताब्दी विकास लक्ष्यों' (एम0डी0जी0) को प्राप्त करने में भी मुख्य भूमिका है। लिटिलफील्ड एवं हाशमी (2003)[9] ने भी इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सूक्ष्म वित्त की आवश्यक भूमिका का उल्लेख किया है।

स्पष्ट है कि सूक्ष्म वित्त क्षेत्र ने ग्रामीण वित्तीय प्रणाली में औपचारिक वित्तीय संस्थाओं के विशाल ढांचे के साथ वित्तीय मध्यस्थता के द्वारा निर्धनों को वित्तीय सेवायें प्रदान करने में उस 'रिक्तता' को कम करने में अपना योगदान किया है, जिसे अकेले बैंकिंग क्षेत्र से पूरा कर पाना संभव नहीं था। सूक्ष्म वित्त क्षेत्र से वाणिज्यिक बैंकों की 'सौदा लागतें' न केवल कम हुई हैं बल्कि बैंकिंग सुधारों के पश्चात् के लाभकारिता के दबावों से मुक्त होकर अब उन्होंने भी इस क्षेत्र में व्यावसायिक अवसरों की पहचान कर अपना 'बाजार अंश' बढ़ाना प्रारम्भ कर दिया है। किन्तु यह क्षेत्र अब भी पूर्ति पक्ष के द्वारा नियंत्रित है और सूक्ष्म वित्त की भारी मांग के सन्दर्भ में अब 'सार्वभौमिक वित्तीय समावेशीकरण' की मांग होने लगी है। फलस्वरूप वित्तीय मध्यस्थता के लिए नवीन माध्यमों– डाकघर एवं वित्तीय संवाददाताओं को भूमिकाऐं दी गई हैं तथा यहां तक कि साहूकारों को भी औपचारिक क्षेत्र में लाने की सिफारिशें भी हुई हैं।

सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के अप्रत्याशित विकास एवं विस्तार तथा प्राप्त वैश्विक मान्यता के बावजूद इसे कई विरोधाभासों एवं सीमाओं के कारण सन्देह की दृष्टि से देखा जाता है। महिलाओं पर संकेन्द्रित बैंक सम्पर्क मॉडल में भी यह देखा गया है कि जहां स्वयं सहायता समूहों की संख्या में तो लक्ष्य से भी अधिक तेजी से वृद्धि हो रही है, वहीं सामाजिक सशक्तिकरण के प्रभाव वृहत एवं आशानुरूप नहीं हैं, निर्धनों को समावेशित किया गया है किन्तु पूर्णरूपेण नहीं और वित्तीय पक्ष में लेखे रखने की पद्धतियां कमजोर हैं, स्वयं सहायता समूहों का गठन उत्साहपूर्ण ढंग से महिलाओं के लिए नए अवसर एवं सशक्तिकरण के वायदे के रूप में होता है किन्तु स्थापित परम्पराओं एवं लिंग आधारित अलाभकारी स्थितियों के सामाजिक प्रसंग में स्वयं सहायता समूहों को प्रवर्तनकर्ता अभिकरणों से अधिक प्रभावशाली एवं रणनीतिक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। (फ्रांसिस सिन्हाः 2007) वास्तव में, किसी भी उद्यम को अर्थसक्षम ढंग से चलाने के लिए जिन कौशलों एवं प्रबन्धकीय क्षमताओं की आवश्यकता होती है, वे स्वयं सहायता समूहों के संदर्भ में सीमित हैं और अध्ययनों से यह भी ज्ञात हुआ है कि भारत में चल रहे अधिकतर

स्वयं सहायता कार्यक्रमों में क्षमता निर्माण सबसे कमजोर पहलू है। निर्धनता वास्तव में केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक समस्या भी है जिसके मूल में आमदनी की कमी ही नहीं बल्कि संसाधनों का असमान एवं अन्यायपूर्ण बंटवारा है, और यह सिर्फ पैसे की कमी से नहीं बल्कि जाति, धर्म और लिंग से भी जुड़ा है। बांग्लादेश के कई अध्ययनों ने यह स्थापित किया है कि लघु ऋण कार्यक्रम से महिलाओं पर अत्यधिक बोझ पड़ गया है। जहां एक ओर पारंपरिक पुरूष सत्ता के क्षेत्र– ऋण और उसकी अदायगी की जिम्मेदारी महिलाओं पर आ गई है, वहीं उनकी परम्परागत जिम्मेदारियों में कोई कमी नहीं हुई है।[10] स्पष्ट है कि सूक्ष्म वित्त क्षेत्र से महिलाओं के सशक्तिकरण में आ रही कतिपय चुनौतियों के दृष्टिगत इसे आजीविका संवर्द्धन का एकीकृत दृष्टिकोंण अपनाकर जोड़ना आवश्यक है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत आलेख में, लघु वित्त के आर्थिक एवं आर्थिकेत्तर प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है। उत्तराखण्ड के 05 जनपदों से चयनित 05 विकास खण्डों में से चयनित कुल 100 स्वयं सहायता समूहों में कुल 400 उत्तरदाताओं से प्राप्त सूचनाओं (सॅूठा , सी0डी0 : 2009)[11] का विश्लेषण किया गया तथा सम्यक सुझाव भी प्रस्तुत किए गए हैं।

विश्लेषण एवं निष्कर्ष

यद्यपि प्रतिचयनित समूहों में महिला समूहों का अंश 95% है, किन्तु उत्तरदाता महिलाओं की संख्या 360 (90%) थी। अनु0जाति के उत्तरदाताओं की संख्या 13% जबकि सामान्य वर्ग के उत्तरदाता 87% थे। (तालिका संख्या 1.0) वैवाहिक स्थिति के आधार पर भी 81% उत्तरदाता महिलाऐं विवाहित थी तथा इनमें भी अधिकांश (74%) अपने पतियों के साथ स्वरोजगार के कार्यों में संलग्न थीं। प्रवासित पतियों वाली महिलाओं की संख्या केवल 7% थी, जो इस धारणा के विपरीत है कि पर्वतीय क्षेत्र की अधिकांश महिलाओं पर अपने पतियों के रोजगार हेतु प्रवास के कारण कारोबार का सम्पूर्ण भार है। (तालिका संख्या 2.0)

तालिका संख्या 1.0

उत्तरदाताओं का जाति/लिंग के अनुसार वर्गीकरण

क0सं0	विकास खण्ड	जाति के अनुसार उत्तरदाताओं की संख्या				योग
		अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	सामान्य	महिला	
1.	धौलादेवी	8 (2)	–	72 (18)	80 (20)	80 (20)
2.	भीमताल	8 (2)	–	72 (18)	76 (19)	80 (20)
3.	चम्पावत	4 (1)	–	76 (19)	76 (19)	80 (20)
4.	गंगोलीहाट	24 (06)	–	56 (14)	48 (12)	80 (20)
5.	बागेश्वर	8 (2)	–	72 (18)	80 (20)	80 (20)
प्रतिशत अंश		52 (13)	–	348 (87)	360 (90)	400 (100)

स्रोतः सर्वेक्षण (2009)

तालिका संख्या 2.0

उत्तरदाता महिलाओं का विवाह की स्थिति के अनुसार वर्गीकरण

क0सं0	विकास खण्ड का नाम	अविवाहित	विवाहित			विधवा/ तलाकशुदा/ परित्यक्ता	योग
			पति साथ में	पति प्रवासी	योग		
1.	धौलादेवी		60 (15)	12 (3)	72 (18)	8 (2)	80 (20)
2.	भीमताल		64 (16)	–	64 (16)	12 (3)	76 (19)
3.	चम्पावत	–	60 (15)	16 (4)	76 (19)	– –	76 (19)
4.	गंगोलीहाट	–	48 (12)	7	48 (12)	– –	48 (12)
5.	बागेश्वर		64 (16)	–	64 (16)	16 (4)	80 (20)
योग			296	28	324	36	360
प्रतिशत अंश			74	7	81	9	90

स्रोतः सर्वेक्षण (2009)

आर्थिक प्रभाव

राष्ट्रीय प्रवृत्तियों के अनुरूप उत्तराखण्ड में भी एस0जी0एस0वाई0 समूहों ने रिवाल्विंग फण्ड से प्राप्त परिसम्पत्तियों में सीमित प्रत्याय की संभावनाओं वाली कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र का तथा उसमें भी दुग्ध व्यवसाय का ही प्राधान्य है । नाबार्ड तथा अन्य समूहों में भी अधिकांशतः यही स्थिति है। सुधरी हुई प्रजातियों का प्रयोग, भैंसों की तुलना में गायों का चुनाव, आंतरिक ऋणों का उपयोग भी चारे व भूसे हेतु किया जाना, सहकारिताओं की सीमित संख्या तथा उनसे संतोषजनक कीमत प्राप्त न हो पाने के कारण दूध तथा अन्य उपोत्पादों के विक्रय की समस्या प्रमुख थीं।

तालिका संख्या 3.0

उत्तरदाताओं की स्वयं सहायता समूह से जुड़ने से पूर्व एवं पश्चात आय में परिवर्तन

आय–वर्ग	समूह से पूर्व	समूह से पश्चात्	प्रतिशत परिवर्तन
शून्य आय	–	–	–
500 रू. तक	20	20	80.76
501–1500	56	56	51.72
1501–2500	168	166	93.02
2501–5000	108	109	70.31
5000 से अधिक	48	49	63.33
योग	400	400	

स्रोतः सर्वेक्षण (2009)

तालिका संख्या 4.0

उत्तरदाताओं द्वारा अर्जित परिसम्पत्ति से प्राप्त उत्पादन की लागत/मूल्य अनुपात

लागत मूल्य अनुपात(प्रतिशत में)	आवृत्ति (प्रतिशत)
25 से कम	–
25–50	04
50–75	24
75 से अधिक	72
योग	100

स्रोतः सर्वेक्षण (2009)

किन्तु इसके बावजूद लघु वित्त का पर्याप्त प्रभाव आय पर देखा गया है। तालिका संख्या 6.10से स्पष्ट है कि समूह से जुड़ने से पूर्व की तुलना में समूह से जुड़कर लाभान्वित होने के पश्चात् आय में उल्लेखनीय अन्तर अवलोकित किया गया है। समूह से जुड़ने से पूर्व 2500 रू. तक आय वाले उत्तरदाताओं की संख्या 76.5% थी, जबकि समूह से जुड़ने के पश्चात् आय सृजनकारी गतिविधियों में संलग्न होने के उपरांत 2500 रू. तक की आय के उत्तरदाताओं की संख्या मात्र 56% रह गई। इस प्रकार 20.5% निर्धन व्यक्तियों ने आय के उच्च अंतराल में प्रवेश किया। 2501–5000 रू. के आय वर्ग में पूर्व में 16% उत्तरदाता थे जबकि समूह से जुड़ने के बाद इस वर्ग में 27% उत्तरदाता हो गए और इस प्रकार 11% उत्तरदाताओं ने इस उच्च आय वर्ग में प्रवेश किया। इसी प्रकार 5000 से अधिक आय वर्ग में भी उत्तरदाताओं की संख्या पूर्व के 30 (7.5%) की तुलना में समूह से जुड़ने के पश्चात् 48 (12%) हो गई। इससे स्पष्ट है कि सूक्ष्म वित्त से आय में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और इसे 1501 से 5000 रू. तक के दो आय वर्गों में सर्वाधिक अवलोकित किया गया है। (तालिका संख्या 4.0)

उपर्युक्त प्रत्यक्ष आय प्रभाव के अतिरिक्त परोक्ष आर्थिक प्रभाव भी उत्पन्न हुए हैं। 72% उत्तरदाता आय में वृद्धि तथा 55% रोजगार की प्राप्ति से सहमत थे, जबकि अभिमत प्रकट न करने वालों की संख्या आय तथा रोजगार के संबंध में क्रमशः 3% एवं 29% थी। केवल 26% उत्तरदाताओं ने रोजगार की प्राप्ति न होने तथा 25% ने आय में वृद्धि न होने की प्रतिक्रिया दी। इसके विपरीत लगभग सभी (95%) का मानना था कि सूक्ष्म वित्तीय हस्तक्षेपों से उनमें बचत प्रवृत्ति का विकास तथा

कठिनाई के समय सरलता से वित्तीय सहायता प्राप्त होने की सुविधा (82%) प्राप्त हो गयी है। निष्कर्ष रूप, में यह कहा जा सकता है कि सूक्ष्म वित्त का आय, रोजगार, बचत प्रवृत्ति तथा लघु ऋणों की वृद्धि में महत्वपूर्ण प्रभाव हुआ है।

सामाजिक प्रभाव

वर्तमान में सूक्ष्म वित्त के प्रवर्तक सामाजिक गतिमानीकरण में प्रभावशाली भूमिका को ध्यान में रखते हुए इसके सामाजिक प्रभावों को अधिक महत्व प्रदान कर रहे हैं। इन प्रभावों की अमूर्त प्रकृति होने के कारण इनका सही मापन करना एक कठिन कार्य है। उत्तरदाताओं में क्रमशः 80% एवं 75% ने आत्मविश्वास तथा गतिशीलता में वृद्धि होना स्वीकार किया जबकि 45% ने उनमें कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण के द्वारा कार्यक्षमता में वृद्धि होने की बात कही। 40% उत्तरदाताओं का मानना था कि समूहों से न केवल उनकी संसाधनों तक पहुंच (40%) बढ़ी है बल्कि अब वह समस्याओं का सामूहिक समाधान (58%) कर सकते हैं। स्पष्ट है कि सूक्ष्म वित्तीय हस्तक्षेपों ने अल्पकाल में ही सामाजिक प्रभावों को उत्पादन करने में महत्वपूर्ण योगदान किया है।

समस्याऐं

1. अग्रेत्तर एवं पृष्ठेत्तर सुविधाओं के अभाव में समूहों के द्वारा सामूहिक उद्यमों में संलग्नता लगभग नगण्य है। अधिकांशतया व्यक्तिगत उद्यमों में ही संलग्नता है, किन्तु 'क्लस्टरों' के अप्रभावी होने तथा 'फैडरेशनों' की कमी के कारण समूहों के मध्य संपर्कों के अभाव एवं संवादहीनता की स्थिति है।
2. सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में बचत एवं लघु ऋणों के रूप में वित्तीय सेवाऐं प्रदान की गई हैं जबकि गृह निर्माण, बीमा एवं धन–हस्तान्तरण संबंधी सेवाऐं लगभग अनुपस्थित हैं।
3. स्वयं सहायता समूहों के सीमित लेन–देनों पर अधिक लागत , अर्थसक्षमता एवं कार्य–भार के दबाव सूक्ष्म वित्त के प्रति सतही स्तर पर वाणिज्यिक बैंकों के दृष्टिकोण में विशेष अंतर अवलोकित नहीं होता है।
4. बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दरें पी0एल0आर0 आधारित होने के कारण अस्थिर होती हैं, जिससे लाभार्थियों में अधिक ब्याज का भ्रम एंव असंतोष होता है।
5. सूक्ष्म वित्त की सफलता के लिए लघु उद्यमों की प्रमुख भूमिका है, किन्तु आवश्यक प्रणालीगत समर्थन के अभाव में इनके विकास में अपेक्षित गति नहीं आ पायी है।
6. लघु उद्यमों के विकास में मुख्य बाधा प्रशिक्षण एवं अधःसंरचना के सुदृढ़ीकरण की है। प्रशिक्षण के माध्यम से उत्पादन की तकनीक के हस्तांतरण, सूचनाओं के प्रसार, कौशल निर्माण एवं क्षमता विकास जबकि अधःसंरचना में प्रणालीगत निवेश से परिवहन, विपणन, कच्चे माल इत्यादि समस्याओं का समाधान से हो सकता है।
7. स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की अधिकांशतया कृषि एवं सहयोगी क्षेत्र के अन्तर्गत पशुपालन में संलग्नता के कारण लाभ मार्जिन की संभावनाऐं सीमित हैं।
8. अग्रेत्तर एवं पृष्ठेत्तर सुविधाओं की कमी को प्रमुख रूप से उद्यम स्थापना की बाधाओं के रूप में अभिव्यक्त किया गया।

सुझाव

1. पर्वतीय क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों की सड़क तथा बैंक से दूरी की अधिकता को देखते हुए 'वित्तीय मध्यस्थों' के रूप में ग्राम पंचायतों, डाकघरों तथा अनौपचारिक संगठनों को भी प्रतिभाग दिया जाना चाहिए।
2. सूक्ष्म / लघु उद्यमों के विकास हेतु सरकार को अग्रेत्तर एवं पृष्ठेत्तर सुविधाओं की न्यूनतम अधःसंरचना निर्मित करने में फैडरेशनों को भूमिका प्रदान की जानी चाहिए।
3. समूहों के प्रवर्तन एवं संपोषण के लिए दी जाने वाली प्रति समूह सहायता को बढ़ाया जाना चाहिए।
4. पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं की जोखिमों के संदर्भ में सूक्ष्म वित्त के अन्तर्गत ऋण एवं बचत सेवाओं के साथ–साथ बीमा, गृह निर्माण एवं धन स्थानान्तरण सेवाओं को भी प्रारंभ करने की पहल की जानी चाहिए।

5. ग्रामीण वित्त में विद्यमान मांग व पूर्ति के विशाल अंतराल को पूरा करने तथा वित्तीय समावेशीकरण में लघु वित्तीय हस्तक्षेपों को अधिक विस्तृत किया जाना चाहिए। इसके लिए स्वयं सहायता समूह– डाकघर सम्पर्क कार्यक्रम' का फैलाव पूरे देश में किया जाना चाहिए।
6. वित्तीय मध्यस्थ के रूप में स्वच्छ छवि वाले सामुदायिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों तथा पंचायती राज की समूची संरचना का प्रयोग किया जाना चाहिए।
7. सूक्ष्म वित्तीय क्षेत्र में ब्याज की उच्चतम सीमायें निर्धारित की जानी चाहिए।
8. कमजोर एवं वंचित वर्ग के निर्धनों तक पहुंच को बढ़ाने में सूचना एवं संचार तकनीकी का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए।
9. सूक्ष्म वित्त को आजीविका विकास की वृहत्तर योजना से श्रृंखलाबद्ध किया जाना तथा इस कार्य में समस्त विभागों, सेवा प्रदाताओं एवं अभिकर्ताओं को प्रतिभागिता दी जानी चाहिए।
10. सूक्ष्म वित्त की सफलता समानान्तर अधःसंरचना, क्षमता विकास एवं कौशल निर्माण तथा संस्थागत परिवर्तनों पर निर्भर करती है। अतः स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत अधःसंरचना ग्रामीण विकास की एक पूर्व शर्त है।

संदर्भ

1. *सिंह , चरण : योजना ,जून 2016 पेज 10–11*
2. *इयोन रैनः 'माइक्रोफायनॉन्सः ए लिटरेचर रिव्यू'– माइक्रोफायनॉन्स– इम्पैक्ट्स एण्ड इनसाइट्स, आई0सी0एफ0ए0आई0, हैदराबाद (2007) पेज 3*
3. *कुरूक्षेत्र, फरवरी 2009 पेज 2*
4. *अनुराधा राजीवनः 'माइक्रो केडिट एण्ड वूमन इम्पावरमैन्ट– ए केस स्टडी ऑफ शेयर माइक्रो फायनैन्स लि0'– माइक्रो केडिट एण्ड इम्पावरमैन्ट (एडीटेड) नीरा बूरा एवं अन्य, 2005 पेज 116*
5. *सेनशर्मा मोमिताः बिजनैस इन्डिया, जून 6. 2005, पेज 19*
6. *कश्यप वी0आर0पी0: 'माइक्रोफायनॉन्स– एन इंट्रोडक्सन'–आई0सी0एफ0ए0आई0,हैदराबाद (2005) पेज 9*
7. *वर्मा रेनूः 'माइक्रो फायनॉन्स एण्ड इम्पावरमैन्ट आफ रूरल वूमन' कुरूक्षेत्र सित0 2008 पेज 4*
8. *सव्यसाची दासः 'सैल्फ हैल्प ग्रुप्स एण्ड माइक्रोक्रेडिट सिनरजिक इन्टीग्रेशन' रूरल इम्पावरमैन्ट (एडीटेड) दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स प्रा0लि0, दिल्ली 2005 पेज 28*
9. *एलिजाबेथ लिटिलफील्ड एवं रिचर्ड रोसेनबर्गः 'माइक्रोफायनॉन्स एण्ड पुअर'– माइक्रोफायनॉन्सः चैलेन्जेज एण्ड अपारचूनीटीज (एडीटेड), आई0सी0एफ0ए0आई0, हैदराबाद (2005) पेज 3*
10. *द्विवेदी अर्चनाः 'स्वसहायता समूह बनाम लघु ऋण'–'उद्देश्य और हकीकत का फासला'– योजना, जनवरी 2008 पेज 33*
11. *सॅूठा , सी0डी0 : 2009 :लघुवित्त माइक्रोफाइनॉन्स) एवं ग्रामीण विकास(2009)) ,जगदम्बा प्रकाशन , दिल्ली।*